



श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति
ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती
अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश
श्रीवास्तव नि. ग्वालियर

आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन अनावेदक

(आदेश दिनांक 28/9/16 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश श्रीवास्तव नि. ग्वालियर के सर्वे कमांक 598, 599, 608 कुल किता 3 कुल रकवा 1.06 आरे में से रकवा 0.40 आरे क्षेत्रफल 43560 वर्गफुट में मौजा सीतापुर शैक्षणिक प्रयोजन हेतु म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-172 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि का कृषि भिन्न आशय में परिवर्तित करवाना चाहा गया है।

प्रकरण में इशतहार जारी किया गया। संबंधित विभागों को अन्दर म्याद अभिमत बावत लिखा गया। ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ती प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया।

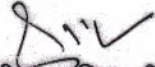
राजस्व निरीक्षक डायरेक्टरेट से स्थल प्रतिवेदन लिया गया। जिसमें प्रश्नाधीन कृषि भूमि है। प्रकरण में भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (क) व 172 (4) के अनुसार भू-भाटक 1712/- प्रतिवर्ष 2015-16 से तथा प्रीमियम रुपये 8560/- एवं उपकर रुपये 856/- का प्रस्ताव प्रतिवेदन में दिया है। मेरे द्वारा प्रकरण पत्रिका एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा दस्तावेजों का परिशीलन किया गया।

अतः म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 55(2) 59(क) 59(2) 59(5) 174(4) के मौजा सीतापुर सर्वे कमांक 598, 599, 608 कुल किता 3 कुल रकवा 1.06 आरे में से रकवा 0.40 आरे क्षेत्रफल 43560 वर्गफुट भूमि कृषि भिन्न आशय से शैक्षणिक प्रयोजन में परिवर्तित किया जाकर इस भूमि का पुनः निर्धारण भू-भाटक 1712/- प्रतिवर्ष 2015-16 से तथा प्रीमियम रुपये 8560/- एवं उपकर रुपये 856/- रुपये अधिरोपित किया जाता है तथा आवासीय प्रयोजन हेतु कृषि भिन्न आशय से व्यपवर्तन की अनुमति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

- 1- आवेदक सक्षम प्राधिकारी से नक्शा अनुमोदित कराकर तथा निर्माण कार्य की विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही निर्माण कार्य करेगा।
- 2- आवेदक संबंधित या निकट के सड़क मार्ग की निर्धारित दूरी छोड़कर तथा संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य करेगा। आवेदक को संबंधित निकाय/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
- 3- अभिन्यास सक्षम कार्यालय से अनुमोदन कराना होगा।
- 4- आवेदित भूमि पर अगर कोई हरा वृक्ष खड़ा हो तो बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न काटा जावे।
- 5- व्यपवर्तन की स्वीकृति मात्र शैक्षणिक प्रयोजन हेतु दी जा रही है अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञा मान्य नहीं होगी। भू-भाटक रुपये भू-भाटक 1712/- एवं उपकर रुपये 856/- रुपये आदेश दिनांक अर्थात् वर्ष 2016-17 से प्रतिवर्ष चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

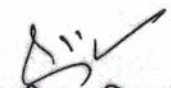
(2)

- 6- आवेदक को परिवर्तित भू भाटक रुपये 1712/- तथा प्रीमियम रुपये 8560/- की राशि चालान द्वारा जमा कर 7 दिवस में चालान की प्रति पेश करना होगी।
 - 7- सार्वजनिक बाधा उत्पन्न नहीं करेगा जिसमें आम रास्ता रोकना, पानी, मल, आदि की निकासी सार्वजनिक स्थान पर किया जाना आदि सम्मिलित है।
 - 8- उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने एवं सिविल न्यायालय में कोई विपरीत आदेश प्राप्त होने की दशा में व्यपवर्तन की अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।
- आज दिनांक 28/9/16 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।


अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया
अनुभाग दतिया

प्रतिलिपि :-

- 1-तहसीलदार तहसील दतिया की ओर सूचनार्थ।
- 2-अधीक्षक भू-अभिलेख दतिया की ओर सूचनार्थ।
- 3-पटवारी हल्का सीतापुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4-संवंधित श्री प्रेमनारायण शिक्षा प्रसार समिति ग्वालियर द्वारा कोषाध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा श्रीवास्तव पत्नि श्री राजेश श्रीवास्तव नि. ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
- 5-शाखा प्रभारी डब्ल्यूओएनओ शाखा तहसील दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग दतिया
अनुभाग दतिया